

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 की लेटर्स पेटेंट अपील सं. 359

में

2024 का दिवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 4313

=====

बशीद अहमद, इरशाद अहमद के पुत्र, गांव-कुनाली, सुपाल, कुनाली बाजार, जिला-
सुपाल, बिहार के निवासी-847451।

..... अपीलार्थी/ओं

बनाम

1. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. जिला मजिस्ट्रेट, सुपाल।
5. जिला पंचायत राज अधिकारी, सुपाल।
6. उप-मंडल अधिकारी, निर्मली, सुपाल।
7. कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिति-सह-खंड विकास अधिकारी, निर्मली, सुपाल।
8. उप विकास आयुक्त (डी. डी. सी.), सुपाल।
9. राम प्रवेश प्रसाद सिंह, वर्तमान में सदस्य पंचायत समिति (पंचायत समिति क्षेत्र सं. 04), सुपाल में याचिकाकर्ता के लिए अज्ञात का बेटा।
10. हरेराम मेहता, याचिकाकर्ता का अज्ञात पुत्र, वर्तमान में सदस्य पंचायत समिति (पंचायत समिति क्षेत्र सं. 02), सुपाल।
11. ममता देवी, याचिकाकर्ता की अज्ञात पत्नी, वर्तमान में सदस्य पंचायत समिति (पंचायत समिति क्षेत्र सं. 06), सुपाल हैं।
12. चंद्रकला देवी, याचिकाकर्ता की अज्ञात पत्नी, वर्तमान में सदस्य पंचायत समिति (पंचायत समिति क्षेत्र सं. 10), सुपाल।
13. बीबी मरियम, याचिकाकर्ता की अज्ञात पत्नी, वर्तमान में सदस्य पंचायत समिति (पंचायत समिति क्षेत्र संख्या 03), सुपाल।

.....प्रतिवादी/प्रतिवादीगण

=====

उपस्थिति:

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री एस. बी. के. मंगलम, अधिवक्ता

श्री अवनीश कुमार, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी संख्या 9 से 13 के लिए: श्री अमित श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री रंजीत चौबे, अधिवक्ता

राज्य चुनाव आयोग के लिए : श्री रवि रंजन, अधिवक्ता

राज्य के लिए : श्रीमान शासकीय अधिवक्ता 05

=====

- बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 - बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 - धारा 43 - आठ में से पांच सदस्यों ने प्रमुख को अधियाचना प्रस्तुत की - धारा 44(3) के तहत बैठक की अनुमति है - प्रमुख और उप प्रमुख दोनों बैठक बुलाने में विफल रहे - धारा 44 - प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया - प्रखंड पंचायत समिति।
- अपीलकर्ता या अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील की ओर से प्रस्तुतीकरण - अपील के ज्ञापन में जानबूझकर झूठ बोला गया - न्यायालय को गुमराह करने का एक स्पष्ट और ज़बरदस्त प्रयास - इस न्यायालय के समक्ष दुस्साहस के साथ झूठ को दोहराया गया, जो हमें लगता है कि इस न्यायालय को गुमराह करने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है। अपीलकर्ता के लिए प्रस्तुतीकरण कि यह उसकी गलती थी, जो उसे न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में नहीं करनी चाहिए थी।
- वकील द्वारा गलती स्वीकार कर लेने मात्र से वादी को न्यायालय को गुमराह करने के जानबूझकर किए गए प्रयास से मुक्त नहीं किया जा सकता। परिस्थितियों की समग्रता को देखते हुए, विशेष रूप से रिट याचिका में उठाए गए अस्थिर तर्कों को देखते हुए,

जिन्हें अपील में बेईमानी से दोहराया गया है - अपीलकर्ता पर 50,000/- (पचास हजार) रुपए का जुर्माना लगाया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार
मौखिक निर्णय
(प्रति: माननीय मुख्य न्यायाधीश)

तारीख: 15-04-2024

अपीलकर्ता प्रखण्ड पंचायत समिति, निर्मली का प्रमुख है, जिसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर विचार किया गया था और छह सदस्यों के बहुमत ने इसके पक्ष में 11.03.2024 को मतदान किया था; जिसे विवादित फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।

2. ध्यान देने योग्य संक्षिप्त तथ्यों पर, प्रमुख और उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का निर्देश दिया गया था; जिनमें से दूसरे ने इस अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाया है और न ही उन्होंने बैठक में भाग लिया है। अविश्वास प्रस्ताव की तिथि 03.01.2024 थी और इसे 15.01.2024 पर प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी को प्रस्तुत किया गया था। इसमें अपीलार्थी ने 2024 की सी. डब्ल्यू. जे. सी. संख्या 402 के साथ इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें जिला मजिस्ट्रेट, सुपाल को प्रमुख, उप प्रमुख और अन्य सदस्यों दोनों को सुनने और निर्णय पर पहुंचने का निर्देश दिया गया था। जिला मजिस्ट्रेट ने दिनांक 22.02.2024 के आदेश द्वारा कार्यकारी अधिकारी को एक विशेष बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की

धारा 44 के अनुसार। जब न तो प्रमुख और न ही उप प्रमुख ने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष बैठक की तारीख तय करने के अपने वैधानिक कर्तव्य का पालन किया, तो पंचायत समिति के कुल आठ सदस्यों में से छह अनुरोधकर्ताओं ने धारा 44 (3) के अनुसार विशेष बैठक 11.03.2024 तय की थी। 11.03.2024 पर, प्रमुख और उप प्रमुख दोनों उपस्थित होने में विफल रहे और सभी सदस्यों के उपस्थित होने और मतदान करने के साथ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, जो समिति के सदस्यों का बहुमत भी था।

3. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने बताया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन हुआ था और अविश्वास प्रस्ताव में आरोप अस्पष्ट और अस्पष्ट थे।

4. दूसरी ओर प्रत्यर्थियों 9 से 13 की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अमित श्रीवास्तव ने अपील से बताया कि अपीलकर्ता जो प्रमुख थे, ने अविश्वास पर विचार करने के उद्देश्य से एक विशेष बैठक बुलाने के लिए पंचायती राज अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का त्याग कर दिया था। वकील ने विशेष रूप से बताया कि अपील में किए गए कथन जो एक हलफनामे द्वारा समर्थित हैं, अपीलार्थी द्वारा इस तर्क को इंगित करते हैं कि पंचायत समिति के पांच निर्वाचित सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित मांग सीधे कार्यकारी अधिकारी-सह-खंड विकास अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत की गई थी और अपीलार्थी के सामने कभी प्रस्तुत नहीं की गई थी। सारांश में, ज्ञापन के अनुच्छेद 7 का संदर्भ दिया गया था जिसमें उपरोक्त विवाद को दोहराया गया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अनुलग्नक-पी-3 से सावधानीपूर्वक इंगित किया, अपीलार्थी द्वारा स्वयं रिट याचिका में प्रस्तुत की गई मांग कि उसे वही 29.12.2023 पर प्राप्त हुआ था। अनुलग्नक-पी-3 पर हाथ से, 29.12.2023 पर 11.30 ए. एम. पर किए गए समर्थन से स्वीकृति देखी जाती है। विद्वान वरिष्ठ वकील बताते हैं कि यह एक जानबूझकर झूठ है।

5. अपीलार्थी श्री एस. बी. के. मंगलम की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने तब इस आधार पर अपील को वापस लेने की मांग की कि तर्क को गलत तरीके से लिया गया था और यह वकील की गलती थी।

6. हम इस बात से संतुष्ट नहीं हैं कि अपीलार्थी या अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील मांग कर सकते हैं। अपील के ज्ञापन में जानबूझकर झूठ बोलने के बाद इस तरह की वापसी, न्यायालय को गुमराह करने का एक स्पष्ट और स्पष्ट प्रयास है।

7. इस पर विचार करने से पहले, हमें मामले के तथ्यों को देखना होगा जो इंगित करते हैं कि आठ सदस्यों में से पांच, जो धारा 43 के तहत आवश्यक कोरम को संतुष्ट करते हैं, ने प्रमुख, उप प्रमुख और कार्यकारी अधिकारी को मांग प्रस्तुत की थी। एक बार प्रमुख द्वारा उस मांग के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें जिला कलेक्टर को इस मामले पर विचार करने का निर्देश जारी किया गया था, जिसके अनुपालन में जिला कलेक्टर ने 22.02.2024 पर एक बैठक बुलाई और एक आदेश पारित किया। माँगकर्ताओं ने स्वयं एक बैठक बुलाई, जैसा कि धारा 44 (3) के तहत अनुमति दी गई है क्योंकि प्रमुख और उप प्रमुख दोनों बैठक बुलाने में विफल रहे। उक्त बैठक में, अविश्वास प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सभी व्यक्तियों के भारी बहुमत के साथ पारित किया गया, जो समिति के सदस्यों के बहुमत में भी हैं।

8. प्रस्ताव को बहुमत के साथ पेश किया गया और पारित किया गया, जिसमें 2024 के कुल आठ में से छह सदस्यों ने भाग लिया, सदस्य; प्रमुख और उप प्रमुख अनुपस्थित हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जाना चाहिए और अपीलार्थी, प्रमुख या उप प्रमुख उसके बाद पद पर नहीं रह सकते हैं।

9. जहाँ तक अपील में किए गए अभिकथनों के संबंध में अपीलार्थी के खिलाफ लगाए गए आरोप का संबंध है, हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा कि पैराग्राफ

17 में विवादित निर्णय में विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष रूप से ध्यान दिया था कि याचिकाकर्ता आरोपों से परिचित था; कार्यकारी अधिकारी के पत्र के साथ रिट याचिका में मांग को रिकॉर्ड पर लाया था जिसने अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 11.03.2024 पर निर्धारित विशेष बैठक की तारीख को सूचित किया था। फिर से, पैराग्राफ 18 में विवादित फैसले में देखा गया कि प्रमुख ने 22.02.2024 पर अपनी लिखित आपति दर्ज करने का विकल्प चुनने के बावजूद, वह इस बात पर जोर देते हैं कि उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था और यह भी कि उन्होंने उप-प्रमुख को बैठक बुलाने के बारे में सूचित करने का विकल्प नहीं चुना था। विवादित निर्णय में इन टिप्पणियों के बावजूद, फिर से अपीलार्थी ने इस न्यायालय के समक्ष उत्साह के साथ झूठ को दोहराया; जो हमें लगता है कि इस न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास हैं। हम अपीलार्थी के विद्वान वकील के इस निवेदन से खुश नहीं हैं कि यह उसकी गलती थी; जिसे उसे न्यायालय के एक अधिकारी के रूप में नहीं करना चाहिए था। केवल वकील द्वारा गलती स्वीकार करना वादी को इस न्यायालय को गुमराह करने के जानबूझकर किए गए प्रयास से दोषमुक्त नहीं करेगा। परिस्थितियों की समग्रता में, विशेष रूप से रिट याचिका में ली गई अस्थिर दलीलों को देखते हुए, जिसे अपील में अनैतिक रूप से दोहराया गया है, हम अपीलार्थी पर रु 50,000/- (पचास हजार) लगाते हैं।

10. हम विशेष रूप से इस बात को ध्यान में रखते हुए कीमत लगाते हैं कि अपीलार्थी को पंचायत के लोगों द्वारा प्रमुख के रूप में चुना गया था, जिसमें जनता के प्रतिनिधि को अधिक ईमानदारी के साथ कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है और विशेष रूप से अपने मतदाताओं द्वारा उस पर व्यक्त किए गए विश्वास को ध्यान में रखते हुए। हम बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को एक महीने की अवधि के भीतर लागत का भुगतान करने का निर्देश देते हैं, जिसमें विफल रहने पर बी. एस. एल. एस. ए. जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से शुरू की गई कार्यवाही के माध्यम से अपीलार्थी से उक्त राशि की

वसूली के लिए आगे बढ़ने का हकदार होगा, जैसा कि भूमि पर देय किसी भी राजस्व की वसूली के लिए आगे बढ़ाया जाता है।

11. हम पहले ही पा चुके हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था और ऐसी परिस्थितियों में, अपील को ऊपर बताए गए अनुकरणीय खर्चों के साथ खारिज कर दिया जाएगा।

12. अंतर्वर्ती आवेदन (ओं), यदि कोई हो, तो बंद होंगे।

13. निर्णय की प्रमाणित प्रति की एक प्रति सदस्य सचिव, बिहार राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण को भेजी जाएगी।

(के. विनोद चंद्रन, मुख्य न्यायाधीश)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

पी. के. पी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।